

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


अजमेर

जमनी व अन्य

बनाम नानू व अन्य

किस्म मुकदमा 53 मुकदमा नम्बर 112/2016.....सन

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15.7.2019	<p>श्री</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकिल वार्दी उपस्थित। राजकीय पेरोकार उपस्थित। प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि वादी न्यायालय आदेशिका दिनांक 19.4.18, 7.6.18, 18.9.18, 7.3.19, की पालना में आज दिवस तक प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/4 की प्रोपर तलबी हेतु नोटिस तलबाना नोटिस तलबाना पेश नहीं किए गए हैं जिस हेतु वादी द्वारा आदेशिका दिनांक 19.4.18, 7.6.18, 18.9.18, 7.3.19, कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश दिनांक 19.4.18, 7.6.18, 18.9.18, 7.3.19, की पालना नहीं की गई है। जिस हेतु वादी को आदेशिका दिनांक 19.4.18, 7.6.18, 18.9.18, 7.3.19, को पूर्व आदेश की पालना किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके बावजूद भी वादी/वादी अभिभाषक द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय पेरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 19.4.18, 7.6.18, 18.9.18, 7.3.19, की प्रभावी आदेशिका दिनांक 7.3.19 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई है। जिससे वादी एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद को चलाए जाने में किसी प्रकार की कोई रुचि प्रकृत होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत उभय पक्षकार अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः वादी का वाद पत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
अजमेर